(2024) 7 एस.सी.आर. 1433: 2024 आईएनएससी 573

मीनाक्षी

बनाम

दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं0 लि0

(सिविल अपील सं0 8473 वर्ष 2024

23 जुलाई 2024

(हीमा कोहली तथा संदीप मेहता, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

क्या मकान किराया भत्ता के प्रकृति में परिलब्धियाँ/भत्ते, लचीले प्रसुविधा योजना तथा भविष्यनिधि के कंपनी अशं्दान को मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रतिकर का मूल्यांकन करने हेतु भावी संभाव्यता द्वारा आय में वृद्धि के सिद्धांत को लागू करते हुए मृतक के मूल वेतन से अपवर्जित किया जा सकता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

मोटर यान अधिनियम, 1988- प्रतिकर हेतु दावा- मकान किराया के प्रकृति में परिलब्धियाँ/भत्ते, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि के कंपनी अंशदान को भावी संभाव्यताओं को लागू करने के प्रयोजन हेतु मूल वेतन से अपवर्जित नही किया जा सकता है- उच्च न्यायालय ने इसे अपवर्जित करने में त्रुटि किया है- उच्च न्यायालय इसके सम्पूर्ण आय की गणना करने हेतु मृतक के सम्पूर्ण वेतन से आयकर की कटौती करने में न्यायोचित- अपील भागतः अनुज्ञातः

अभिनिर्धारित: मृतक के माँ द्वारा प्रतिकर हेतु दावा - उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर धनराशि को घटाया- इसने भावी संभाव्यताओं को लागू करने के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण आय से मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि इत्यादि के अंशदान के घटकों को अपवर्जित किया- इसने सम्पूर्ण वेतन से आयकर की भी कटौती किया- अपील भागतः अनुज्ञात- उच्च न्यायालय ने मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि के कंपनी अंशदान को मृतक के मूल वेतन में न जोड़ने में त्रुटि किया- फिर भी, उच्च न्यायालय सम्पूर्ण आय की गणना करते समय कुल वेतन से आयकर की कटौती करने में न्यायोचित- प्रतिकर धनराशि पुर्नमूल्यांकित। (पैरा 12-15)

उद्धृत निर्णय-जन्य विधि

रघुवीर सिंह मतोलया तथा अन्य बनाम हरि सिंह मालविया तथा अन्य (2009) 5 एससीआर 379: (2009) 15 एससीसी 363; नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 बनाम नलिनी तथा अन्य, अपील की विशेष अनुमति (सी) सं0 4230/2019 - भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर यान अधिनियम, 1988

प्रमुख शब्दों की सूची

दावा; प्रतिकर; एमएसीटी; किराया का बकाया; आश्रित की हानि; भावी संभाव्यताओं द्वारा आय में वृद्धि का सिद्धांत; मकान किराया भत्ता; लचीला प्रसुविधा योजना; भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान; आयकर कटौती; मृतक का मूल वेतन

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 8473 वर्ष 2024 एमएफए सं0 200311 वर्ष 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय कालाबुरागी के निर्णय तथा आदेश दिनांक 02-08-2017 से

अधिवक्तागण

सी. एम. अनगदी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अपीलार्थी के अधिवक्तागण

अरविन्द गुप्ता, अनिल कुमार साहू, मोहित विधूरी, श्रीमती सुमन शर्मा, कणव भारद्वाज, सुनील कुमार राय, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. विलम्ब माफ किया जाता है।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. यह अपील एम.एफ.ए. सं0 2003 11/2016 (एमवी) में कर्नाटक उच्च न्यायालय कालावुरागी पीठ के विद्वान खण्डपीठ द्वारा दियेगये निर्णय दिनांक 2 अगस्त 2017 से उद्भूत होता है जिसके द्वारा, प्रत्यर्थी सं0 1 - बीमा कंपनी, प्रत्यर्थी सं0 2 को मा0 न्यायमूर्ति- इस चैम्बर के आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा निकाला गया था, उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दाखिल दावा याचिका एमवीसी सं0 887 वर्ष 2013 में प्रधान वरिष्ठ सिविल जज एवं एमएसीटी एतस्मिन्पश्चात दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में निर्दिष्ट कालाबुरागी द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 25 नवम्बर, 2015 द्वारा दावेदार अर्थात इसमें अपीलार्थी को अधिनिर्णीत प्रतिकर को कम किया था। दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावेदार अर्थात इसमें अपीलार्थी को श्री सूर्यकांत जो 29 अगस्त 2013 को सड़क दुर्घटना में मर गया था माँ होने के नाते 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ रू0 1,04,01,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था। दुर्घटना दावा अधिकरण ने निम्न तरीके से प्रतिकर का मूल्यांकन किया था तथा परिमाण निर्धारित किया था:-

> **"16. आश्रित की हानि:** याची मृतक सूर्यकांत की माँ है। सर्वसम्मति से, मृतक की आयु को प्रदर्श पी 13 के अनुसार मृत्योपरांतपरीक्षण रिपोर्ट में 26 वर्ष बताया गया है, जिसे विचार में लिया गया है। मृतक के आय के संबंध में, वादी साक्षी 1 ने कहा है कि मृतक सूर्यकांत सर्विस कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता था तथा रू0 56,935/- प्रतिमाह का मासिक मूल वेतन प्राप्त करता था एवं उक्त तथ्य को साबित करने के लिए इसने प्रदर्श पी 15 से प्रदर्श पी25 पेश किया है जो क्रमशः नियुक्ति पत्र, वेतन पुनरीक्षण पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, सिसको द्वारा जारी प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, डिप्लोमा प्रमाणपत्र, आयकर विवरणी तथा फार्म सं0 16 है, लेकिन प्रदर्श पी 17 के अनुसार वेतन प्रमाणपत्र, जो मृतक का अगस्त 2013 का है जो मृतक की कुल कमाई को प्रदर्शित करता है रू0 50,942/- है इसलिए उक्त तथ्य को प्रतिकर धनराशि अधिनिर्णीत करने के लिए ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि आयकर विवरणी के अनुसार जिसे याची द्वारा पेश किया गया है यह देखा जाता है कि मृतक पैन कार्ड धारक था तथा वह आयकर अदा करता था जिससे प्रदर्शित होता है कि वह उस धनराशि को कमाने में सक्षम था जिसे प्रदर्श पी-17 में

प्रदर्शित किया गया है तथा यद्यपि मृतक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य करता था उक्त वेतन धनराशि पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वह डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक है तथा इसके कार्यक्षमता के आधार पर कंपनी इसे उक्त धनराशि अदा कर रही थी। इसलिए रू0 50,942 के वेतन हेतु रू0 200/- के वृत्तिका कर की कटौती की गई है जो रू0 50,742/- प्रतिमाह आता है। इसलिए, मेरी राय में, रू0 50,742/- की दर पर मृतक की आय पर विचार करना व्यवहार्य है तथा वार्षिक आय रू0 6,08,904/- आता है। चूँकि मृतक अविवाहित था; उक्त धनराशि के 50 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, यह रू0 3,04,452/- आता है। 2015(3) टीएसी 1 (एससी) में संप्रकाशित मा0 शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय तथा सरला वर्मा तथा अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम तथा एक अन्य एवं राजेश तथा अन्य में संप्रकाशित निर्णयजन्य विधि के अनुसार, मृतक अपने आय के 50 प्रतिशत पर भावी संभाव्यताओं के हानि के लिए भी हकदार है। इसलिए, यदि उक्त आय के 50 प्रतिशत में रू0 3,04,452/- जोड़ा जाता है यह रू0 6,08,904/- (3,04,452+3,04,452) प्रति वर्ष होगा। मृतक के आयु के संबंध में, प्रदर्श पी 13 के अनुसार मृत्योपरांतपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक की आयु को 25 वर्ष बताया गया है। इसलिए, इसे सरला वर्मा तथा अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम तथा एक अन्य में संप्रकाशित निर्णयजन्य विधि के अनुसार गुणक को लागू करने के लिए ध्यान में रखा जाता है ''17'' है। आश्रित के कुल हानि की गणना निम्नवत् है: रू0 6,08,904 x 17 गुणक = रू0 1,03,51,368/- का हकदार है।

इसलिए, याची निम्नवत् विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल प्रतिकर का हकदार है:

1. प्रेम तथा अनुराग की हानि	रू0 25,000.00
2. अन्त्येष्टि खर्चे	रू0 25,000.00
3. आश्रित की हानि	रू0 1,03,51,368.00
कुल पूर्णांकित प्रतिकर	रू0 1,04,01,368.00 रू0 1,04,01,000.00

इसलिए याची याचिका के तिथि से इसके वसूल करने तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ रू0 1,04,01,000/- के कुल प्रतिकर का हकदार है।

4. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं0 1- बीमा कंपनी द्वारा अधिमानित अपील पर विचार करते हुए, निष्कर्ष निकाला था कि ''आश्रित की हानि'' के मद के अन्तर्गत प्रतिकर का मूल्यांकन करते समय दुर्घटना दावा अधिकरण का दृष्टिकोण कई आधारों पर त्रुटिपूर्ण था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृतक का वेतन वर्ष 2013 के लिए वार्षिक वेतन पुरीक्षण पर आधारित होना चाहिए जिसके अनुसार इसका कुल वेतन रु0 4,88,982/- (रुपया चार लाख अट्ठासी हजार नौ सौ तथा बयासी मात्र) था। यह आंकड़ा यथार्थ रूप से प्रतिबिम्बित करता है जिसे मृतक-सूर्यकांत वर्ष 2013 के लिए प्राप्त किया होता। आय के हानि की गणना करने के लिए उच्च न्यायालय ने मृतक सूर्यकांत का मूल वेतन रू0 2,30,652/- (रुपया दो लाख तीस हजार छह सौ बावन मात्र) प्रतिवर्ष लिया था तथा मात्र उक्त आंकड़े पर 50 प्रतिशत की दर पर भावी संभाव्यताओं को लागू किया गया था, जो

रू0 1,15,326/- (रुपया एक लाख पन्द्रह हजार तीन सौ तथा छब्बीस मात्र) लिखा गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, भत्ता सहित आय की कुल हानि रू0 6,20,967/- (रूपया छह लाख बीस हजार नौ सौ तथा सढ़सठ मात्र) लिखा गया था। उक्त धनराशि में से रू02400/- (रुपया दो हजार चार सौ मात्र) के वृत्तिका कर तथा रू0 61,857/- (रुपया एकसठ हजार आठ सौ तथा सत्तावन मात्र) के आयकर की कटौती की गई थी तथा इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार मृतक सूर्यकांत की कुल वार्षिक आय रू0 5,56,710/- (रुपया पांच लाख छप्पन हजार सात सौ दस मात्र) लिखा गया था। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि इत्यादि के अंशदान के घटकों का हिसाब भावी संभाव्यताओं के सिद्वांत पर मृतक के कुल आय के 50 प्रतिशत को जोड़ने के प्रयोजन हेतु नही लगाया जा सकता है।

5. 17 के गुणक को कुल आंकड़े में लागू किया गया था तथा उपरोक्तानुसार गणना किये गये कुल आय से 50 प्रतिशत की कटौती इस तथ्य पर विचार करते हुए व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था कि दावेदार अर्थात इसमें अपीलार्थी, मृतक की माँ होने के नाते, मृतक की एकमात्र आश्रित है। शुद्ध पुर्नमूल्यांकित प्रतिकर जैसा उच्च न्यायालय द्वारा गणना की गई थी रु0 49,57,035/- (रुपया उन्चास लाख सत्तावन हजार तथा पैंतीस मात्र) आया था। परिणामस्वरूप, दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की कटौती उपरोक्तानुसार आक्षेपित निर्णय दिनांक 2 अगस्त 2017 द्वारा की गई थी जो विशेष अनुमति द्वारा इस अपील द्वारा दावेदार अपीलार्थी द्वारा चुनौती के अधीन है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पेश निवेदनों को सुनने तथा विचार किये जाने के पश्चात तथा आक्षेपित निर्णयों एवं अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात, मेरी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तार्किकता कि मकान किराया के प्रकृति में परिलब्धियों/भत्तों, लचीले प्रसुविधा योजना तथा भविष्य विधि के कंपनी अंशदान को भावी संभाव्यताओं को लागू करने के प्रयोजन हेतु कुल आय से अपवर्जित किया जायेगा, अभिलेख को देखते ही त्रुटिपूर्ण है। इस पहलू पर कोई दो विचार नहीं हो सकता है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ग्राह्य ये परिलब्धियाँ/भत्ते स्थायी नही रहते है तथा सामन्यतया आनुपातिक रूप से कर्मचारी के लगातार सेवाकाल तक बढ़ता है। इन भत्तों को सामान्तया मूलवेतन के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर नियत किया जाता है।

7. सरकारी कर्मचारियों के सेवा शर्तों तथा वेतनमान के अनुसार, मकान किराया भत्ता मूलवेतन के 8 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के बीच देय है। इसलिए, मकान किराया भत्ता मूल वेतन के आनुपातिक नियत अनुपात में संदत्त किया जाता है। मूल वेतन में वृद्धि के साथ, मकान किराया भत्ता का परिमाण भी आनुपातिक रूप से बढ़ता है। प्राइवेट सेवा में नियोजित व्यक्ति के लिए ग्राह्य कंपनी अंशदान तथा लचीला प्रसुविधा योजना भी स्थायी नही रहेगा तथा सेवा काल के साथ वृद्धि अवश्य होता है। इस अपील में एक मात्र विवाद यह है कि क्या ऊपर निर्दिष्ट परिलब्धियों/भत्तों को भावी संभाव्यताओं को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, भावी संभाव्यताओं के सिद्वांत को लागू करने के लिए कर्मचारी के वेतन से इन घटकों को पूर्णतया अपवर्जित किया जाना अन्यायोचित होगा। परिणामस्वरूप, हमें यह धारित करने में कोई हिचकिचाहट नही

है कि इन भत्तों की अनदेखी नही की जा सकती है तथा वेतन में जोड़ा जाना चाहिए जब प्राइवेट सेवा में नियोजित व्यक्ति के भावी संभाव्यताओं के कारण आय में वृद्धि का मूल्यांकन किया जा रहा हो। इस न्यायालय ने भावी संभाव्यताओं द्वारा आय के वृद्धि के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए युक्तिसंगत फार्मूला काढ़ा है। वर्तमान मामले में, दुर्घटना दावा अधिकरण तथा उच्च न्यायालय के खण्डपीठ दोनों द्वारा उक्त प्रतिशत 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। ऊपर किये गये चर्चा के दृष्टिगत भावी संभाव्यताओं द्वारा वृद्धि को लागू करने के पहले परिलब्धियों/भत्तों को मृतक के मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए।

8. **रघुवीर सिंह मटोलिया तथा अन्य बनाम हरि सिंह मालवीया तथा अन्य (2009) 15 एससीआर 379 (2009) 15 एससीसी 363** में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के आय का निर्धारण करने के लिए मकान किराया भत्ता को जोड़ा जाना चाहिए। त्वरित संदर्भ हेतु सुसंगत पैरा को एतस्मिन् नीचे उद्धृत किया जाता है:-

''6. हमारी राय में, मंहगाई भत्ता को आय का एक हिस्सा बनना चाहिए। मकान किराया भत्ता परिवार के सदस्यों के प्रसुविधा हतु संदत्त किया जाता है तथा एक मात्र कर्मचारी के लिए नही। आय को क्या गठित करेगा, हालांकि भिन्न तथ्य स्थिति मे, नेशनल इंश्योरेन्स कं0 लि0 बनाम इन्दिरा श्रीवास्तव ((2008) 2 एससीसी 763) में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

''19. इसलिए, धनराशि, जिसे सुविधाओं द्वारा मृतक को अपने नियोक्ता द्वारा संदत्त किया जाना आवश्यक था, इसके मासिक आय के गणना हेतु शामिल किया जाना चाहिए जैसा इसे परिवार को अंशदान द्वारा इसके मासिक आय में जोड़ा गया होता, जैसा कोई वैषम्य दिखाकर अलग किया गया था जो इसके प्रसुविधा हेतु था। फिर भी हम जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं कि आय के उक्त धनराशि से, तदनन्तर देयकर की कानूनी धनराशि की कटौती की जानी चाहिए।

20. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस ला लेक्सीकान (तृतीय संस्करण) में शब्द आय को निम्नवत् परिभाषित किया गया हैः

(iii) निदेशक या व्यक्ति जिसका कंपनी में पर्याप्त हित हैं द्वारा कंपनी से प्राप्त किसी प्रसुविधा या परिलब्धि चाहे पैसे में परिवर्तनीय हो या नही का मूल्य तथा किसी बाध्यता के संबंध में इस प्रकार के कंपनी द्वारा संदत्त कोई धनरशि, जो यदि ऐसा न होता तो इस प्रकार का भुगतान कृषि क अलावा किसी पेशा, व्यापार या आजीविका से राज्य में व्यक्ति को पाये जाने वाले या उत्पन्न होने वाले निदेशक या पूर्वोक्त किसी व्यक्ति द्वारा देय हुआ होता।

'यह कहा गया है: ''आय व्यक्त करता है'' जो अन्दर आता है'' सेलवोर्न, सी. जोन्स बनाम आगले (1861-73) इलाहाबाद ईआर रेप 918),'' व्यक्ति के आय का द्योतित करने के लिए यह उतना बड़ा शब्द है जैसा प्रयोग किया जा सकता है। (जैसेज, एम.आर. हगिन्स एक्स पी. रि (51 एल जे सीएच 935), आय एकमात्र व्यापार से आय तक सीमित नही है तथा किसी के कार्य, भूमि, निवेश इत्यादि से मियादी आय से अभिप्रेत है। सचिव राजस्व बोर्ड, आयकर बनाम एएल. एआर. आरएम. अरूणाचलम चेट्टियार एण्ड ब्रदर्श (एआईआर 1921

मद्रास 427) रेफरेन्स बलकन इंश्योरेन्स कं0 लि0 बनाम कार्पोरेशन आॅफ मद्रास (एआईआर 1930 मद्रास 626 (2))

21. यदि शब्द 'आय' के शब्द कोष अर्थ को इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है, इसमें पैसे या अन्यथा के अनुसार ऐसे प्रसुविधाओं को शामिल होना चाहिए, जिसे आयकर या वृत्तिका कर के भुगतान के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा जाता है यद्यपि इसके कुछ तत्व कराधेय हो सकते है या नही हो सकते है तथा अन्यथा कराधेय रहा होता यदि ऐसा न होता तो तदन्तर कानून के अन्तर्गत छूट दिया गया होता।

इसी आशय का इस न्यायालय के निर्णय ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम राम प्रसाद वर्मा तथा अन्य ((2009) 2 एससीसी 712: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 853: (2009) 1 स्केल 598) में है।

7. इसलिए मेरी राय है कि मृतक को देय ''मंहगाई भत्ता'' तथा ''मकान किराया भत्ता'' मृतक के आय तथा परिणामस्वरूप प्रतिकर के धनराशि का निर्धारण करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए था।

(बल दिया गया)

9. हालिया **नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि0 बनाम नलिनी तथा अन्य (अपील (सी) के विशेष अनुमति हेतु याचिका सं0 4230/2019) में निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2024** में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि ऋण, भविष्य निधि तथा विशेष भत्ता के मदों के अन्तर्गत भत्ता आश्रित बात पर पहुँचने के लिए पीड़ित/मृतक के मूल वेतन पर विचार करते समय जोड़ा जाना चाहिए।

10. इसलिए, मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि के कंपनी अंशदान को आश्रित कारक का निर्धारण करने के लिए भावी संभाव्यताओं द्वारा आय में वृद्धि के घटक को लागू करते समय मृतक के वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। दुर्घटना दावा अधिकरण अपीलार्थी को देय कुल प्रतिकर की गणना करते समय भावी संभाव्यनाओं के कारण भावी संभाव्यताओं द्वारा 50 प्रतिशत वृद्धि को लागू करने के पहले इन घटकों को मृतक के वेतन में निमित्त बनाने में न्यायसंगत था।

11. स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं0 1 - बीमा कंपनी द्वारा दाखिल अपील को स्वीकार करने में तथा दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत अपीलार्थी को देय प्रतिकर धनराशि रु0 1,04,01,000/- (रुपया एक करोड़ चार लाख एक हजार मात्र) से रु0 49,57,035/- (रुपया उन्चास लाख सत्तावन हजार तथा पैंतिस मात्र) को कम करने में त्रुटि किया था।

12. इसलिए, हम, धारित करते है कि उच्च न्यायालय ने भावी संभाव्यताओं द्वारा आय में वृद्धि के सिद्धांत को लागू करते हुए मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा मृतक के मूल वेतन के भविष्य निधि के कंपनी अंशदान के घटकों को शामिल न करते हुए त्रुटि किया है।

13. फिर भी, मेरी राय है कि उच्च न्यायालय कुल आय की गणना करने हेतु मृतक-सूर्यकांत के कुल वेतन से आयकर की कटौती करने में न्यायोचित है। अधिनिर्णय के परिमाण का

निर्धारण करते समय इस कारक की अनदेखी दुघर्टना दावा अधिकरण द्वारा किया गया था।

14. परिणामस्वरूप, आयकर के लिए कटौती करने के पश्चात अपीलार्थी को देय पुर्नमूल्यांकित प्रतिकर को निम्न तरीके से सारणीबद्ध किया जाता हैः-

क्र0सं0	**मद**	**धनराशि**
1.	**आश्रित की हानि** मृतक का मासिक वेतन- रु0 50,942/- (मकान किराया भत्ता, लचीला प्रसुविधा योजना तथा भविष्य निधि में अंशदान शामिल) (कम) रु0 200/- माह के वृत्तिक कर की कटौती की जायेगी (रु. 50,942- रु 200) (कम) 2013-2014 के अनुसार 10 प्रतिशत की दर- पर आयकर अर्थात अर्थात 5,074 (रु0 50,742-रु0 5,074) वार्षिक कुल आय (रु0 45,668 ग 12) रू0 5,48,016 (कम) आश्रित के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी क्योंकि मृतक अविवाहित था (रु.5,48,016 - रु.2,74,508) (बढ़ाना) भावी संभाव्यताओं द्वारा आय रुपये में वृद्धि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। (रु.5,48,016 - रु.2,74,008) आश्रित की कुल हानि - 5,48,016 x 17 (गुणक क्योंकि मृतक की आयु 26 थी)	 रु. 50,742 रु. 45,668 रु. 2, 74,008 रु. 5,48,016 रु. 93,16,274
1.	अत्येष्टि खर्चे	रु0 25,000
2.	प्रेम तथा अनुराग की हानि	रु0 25,000
	कुल प्रतिकर	**रु0 93,66,272**

15. इस प्रकार उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2 अगस्त 2017 को उलटा जाता है। अपील को उपरोक्त निबंधनों पर भागतः अनुज्ञात किया जाता है। खर्चों को सहज बनाया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील भागतः अनुज्ञात

एसानी नारायण, मा0 सहयुक्त संपादक द्वारा
शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई है,
(शिवानी घोष, अधिवक्ता द्वारा सत्यापित)

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)